झारखण्ड विधान-सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019' कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90-ख (2) में संशोधन

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90-ख (2) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"इस प्रकार संग्रहीत बाजार फीस राज्य निधि में जमा की जायेगी और नगर विकास एवं आवास विभाग प्राधिकार क्षेत्रान्तर्गत नागरीय सुविधाओं, अवसंरचना, विपणन सुविधायें और स्थापना में आवश्यकतानुसार राशि प्रदान करने हेतु संबंधित प्राधिकार को प्रतिवर्ष यथोचित वितरण करेगी।"

यह विधेयक झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 06 फरवरी, 2019 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 06 फरवरी, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 132(A)--50--20-02-2019 ।